पोवार समाज हित में प्रकाशित श्वेत पत्र-

****

वैनगंगा क्षेत्र में बसे पंवार(पोवार) क्षत्रियों के ऐतिहासिक नामों और संस्थाओं को ख़तम करने के अनुचित प्रयास

(मध्यभारत में पवार नाम के इतिहास के पड़ताल सहित)

****

इतिहासकार प्राचार्य ओ. सी. पटले

पोवार समाज रिसर्च अकॅडमि, भारतवर्ष.

****

1. श्वेत पत्र का उद्देश्य

****

जो समाज इतिहास भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है. हमारे पोवार समाज का अस्तित्व समाप्त न हो, इसी पावन उद्देश्य से समाज को 1900 से अबतक का इतिहास अवगत कराना यही इस लेख अथवा श्वेत पत्र का उद्देश्य है.

2. पोवार समाज में संगठन की शुरुआतशुरुआत

****

मालवा राजपुताना से नगरधन होकर आये क्षत्रिय १७७५ के आसपास तक वैनगंगा क्षेत्र में बस चुके थे। सभी प्राचीन दस्तावेजों में इनके छत्तीस कुल के इस संघ के पंवार और पोवार नाम ही मिलते हैं। १८८० के आसपास से इनके संगठनों की जानकारी मिलती हैं और उन्नीस्वी सदी के शुरू में ही प्रथम ज्ञात संगठन पंवार जाती सुधारणी सभा थी जो अखिल भारतीय क्षत्रिय पंवार महासभा की मूल संस्था थी। छत्तीस कुल के पोवार समाज के संगठनों में मूल जाती नाम पंवार और पोवार ही था।

3.भोयर समाज के विविध संमेलन : एक अवलोकन

****

3-1.1924 का रिधोरा सम्मेलन

****

मध्यभारत में बैतूल, छिंदवाड़ा और वर्धा जिलों में भोयर समाज निवास करते हैं और सुखवाड़ा नामक संस्था के द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, "सर्वप्रथम बड़ चिचोली, छिंदवाड़ा में वर्ष १९१४ में समाज सदस्यों के भव्य सम्मेलन के प्रमाण मिलते हैं। वर्ष १९२२ तक लगातार एकजूट होने के प्रयास किए जाते रहे। वर्ष १९२४ में आयोजित रिधोरा सम्मेलन में एक साहसिक निर्णय लेने का प्रयास किया गया और भोयर के स्थान पर भोयर पवार लिखने का निर्णय लिया गया।

3-2.1939और 1941 के सम्मेलन

****

फिर वर्ष १९३९ में भोयर पवार के स्थान पर केवल पवार ही लिखने का निर्णय किया गया। वर्ष १९४१ में पवार समाज सुधार समिति का नाम बदलकर मध्य प्रांत व विदर्भ क्षत्रिय पवार भोयर परिषद रखा गया। इस सम्मेलन में विदर्भ को शामिल करके अपनी सोच और समझ का दायरा बढ़ाया गया।"

3-3. भोयर समाज द्वारा जाति और भाषा के नाम में फेरफार

****

इस प्रकार स्पष्ट है की भोयर समाज ने पवार शब्द धारण करने का प्रस्ताव पास किया और आज भी पवार या भोयर पवार लिख रहे हैं और बोली को पवारी या भोयरी पवारी लिख रहे हैं। इनके द्वारा समय समय पर शासन से पवार शब्द को शासकीय गैज़ेट में शामिल करने की मांग की जाती रही है और कुछ जगह पवार शब्द शामिल भी किया गया है।

4. पोवार एवं भोयर समाज : स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र भाषा

****

१८६८ से ब्रिटिश शासन ने जनगणना प्रारम्भ की और १८८१ से विधिवत जनगणना प्रारम्भ हुयी। जनगणना के साथ भाषाओं की जानकारी भी शासकीय गैजेट्स में मिलती हैं। १८६८ से लेकर १९४१ तक सभी गैज़ेट में बालाघाट, सिवनी और भंडारा जिलों में पोवार समाज की बोली पोवारी और भोयर समाज की भोयरी ही मिलती हैं। इन दोनों समाजों का स्वतंत्र अस्तित्व रहा हैं और भाषायी सर्वे में भोयरी और पोवारी को अलग-अलग भाषाई समूहों में शामिल किया गया था। १९३९ से भोयर समाज के द्वारा पवार नाम लिखने का प्रस्ताव पारित किया गया था इसलिए १९५१ तक इस समाज ने अपनी बोली भोयरी को पवारी बताया। १९५१ की जनगणना में बालाघाट, सिवनी और भंडारा जिले के पोवारों के द्वारा पोवारी बोलने का स्पष्ट उल्लेख हैं। साथ में मध्य प्रान्त में पवारी और भोयरी बोलने का उल्लेख हैं। बाद के वर्षों में भी भोयर समाज ने पवार लिखना जारी रखा l

5. भोयरों द्वारा पोवारों के साथ एकीकरण की पहल

****

भोयर समाज पहले अपने समाज के नाम को बदल दिया . तत्पश्चात उसने वैनगंगा क्षेत्र के पंवारों से एकीकरण के प्रयास किये। १९६३ में भोयर पवार समाज की बैठक में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया और इनका एक प्रतिनिधि मंडल इसी वर्ष स्व. श्री भोलाराम राम जी पारधी के निवास स्थान अतरी(लालबर्रा) में मिला और १९६५ में पंवार महासभा ने भोयर समाज से एकीकरण को स्वीकार किया।

6. एकीकरण का स्वरूप :महत्वपूर्ण विश्लेषण

****

यह एकीकरण सिर्फ सीमित व्यक्तियों के द्वारा और एक सम्मलेन में स्वीकार कर लिया और समाज से इसका कोई लेना देना नहीं था साथ में पंवार(पोवार) समाज के ऐतिहासिक नामों को छोड़ने या रोटी-बेटी जैसी कोई शर्त भी नहीं थी। इस समय देश में अनेक क्षत्रिय संगठनों में एकता के प्रयास जारी थे इसीलिए पोवारों के संगठन पंवार महासभा ने भी भोयर समाज के साथ एकता को इसके हिस्से के रूप में स्वीकार किया था। दोनों समाजों के अतीत में कोई सम्बन्ध नहीं थे इसीलिए विलीनीकरण कभी हुआ ही नहीं जैसा की कुछ लोग आज कह रहे हैं।

7. शासकीय रिकॉर्ड का अवलोकन

****

भोयर समाज १९३९ के बाद से आज तक पवार नाम को अपनी मूल जाती बनाने के प्रयास में हैं और हाल के दिनों में ही उनके प्रतिनिधिमंडल ने पवार नाम को पिछड़ी जाती में शामिल करने हेतु शासन को प्रतिनिवेदन दिया हैं। इसी प्रकार जनगणना में अब भोयरी के साथ इसी बोली को पवारी भी बताया गया है। जबकि वैनगंगा क्षेत्र के पोवारों ने अपनी बोली पोवारी बताया. २००१ और २०११ में भोयरी पवारी बोली के लिए पवारी शब्द आया हैं, न की पोवारी के प्रतिस्थापन के रूप में, जैसा की कुछ लोग भ्रमित कर रहे है।

8.स्वतंत्र बोलियाँ नष्ट करने के प्रयास

****

भोयरी और पोवारी दो स्वंतंत्र बोलियाँ हैं और दोनो का स्वतंत्र साहित्य हैं, और दोनों के विकास के लिए ये आवश्यक हैं की दोनों बोलियों का स्वतंत्र विकास हो। दो स्वतंत्र समाजों के विलीनीकरण के चक्कर में भोयरी पवारी और पोवारी(पँवारी) को सिर्फ एक ही नाम पवारी से सम्बोधित करने से सभी के लिए भ्रम की स्थिति होगी और दो स्वतंत्र बोलियों के विकास में भी ये बाधक होगा।

9. पोवारों के ऐतिहासिक नाम और संस्थाओं को खतम करने के प्रयास

****

क्षत्रिय पंवार(पोवार) समाज की ऐतिहासिक संस्था अखिल भारतीय पंवार क्षत्रिय महासभा के पंजीयन की प्रक्रिया इस संस्था के तात्कालिक अध्यक्ष के प्रयासों से २००४ में शुरू हुयी पर २००६ में इस संस्था के अस्तित्व को ही समाप्त कर एक नयी संस्था राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा की स्थापना की गयी और इसके मुख्य नाम पर पंवार शब्द न रखकर पवार नाम रख दिया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं की पवार नाम छत्तीस कुल वाले पोवारों से कही भी संबधित नहीं हैं और इसे सिर्फ मध्यभारत में भोयर समाज अपने नाम भोयर के स्थानपर प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा हैं। बाद कुछ लोगों ने तर्क दिया की भोयर समाज से एकीकरण हेतु पोवारों के ऐतिहासिक नाम पोवार और पंवार को मिटाकर पवार करने से दोनों समाजों में एकीकरण होगा। हाल के दिनों में सही ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखने वालों और पोवारी संस्कृति के संरक्षकों के लिए एकीकरण तोड़ने वाले जैसे शब्दों के प्रयोग से यह तो स्पष्ट हैं की कुछ लोग नहीं चाहते की छत्तीस कुल के पोवार(पंवार) समाज के लोग अपने वास्तविक इतिहास और अपने मूल नामों से परिचित हो। पोवार और पंवार को मिटाने के लिए इन नामों से बनी सस्थाओं का पंजीयकरण के बहाने पवार नाम से पंजीयन करवाया गया। रायपुर, दुर्ग -भिलाई, गोंदिया, नागपुर और छिंदवाड़ा के संगठनों को चालाकी से पवार नाम से पंजीयन करवाया गया जबकि ये मूल रुप से पंवार या पोवार नाम से थे। छत्तीस कुल के पंवार/ पोवार समाज अपने ऐतिहासिक वैभव से अनजान और पंवार महासभा पर अटूट विश्वास करते थे लेकिन स्वार्थी लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारन इन संस्थाओं में घुसकर इन्हे ही समाप्त कर दिया और आज भी कुछ लोग यही कार्य कर रहे हैं जो बहुत ही दुखद हैं। आज देश की एकता और अखंडता बहुत जरुरी हैं और सभी जातियों के एकीकृत होकर इस

दिशा में कार्य करना हैं लेकिन इसके लिए अपनी ऐतिहासिक संस्कृति को मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

10. पोवारों की पहचान मिटाने के प्रयास

****

पिछड़ी जाति के गैज़ेट में भोयर और पोवार/पंवार समाज को एक ही क्रमांक में रखने से और भोयर समाज के द्वारा पवार रखने की मांग से यह भ्रम की स्थिति हो गयी की कहीं पवार शब्द पोवारों के लिए तो नहीं हैं ।२००६ में राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा बनी और इसने ३६ कुल की अखिल भारतीय पंवार क्षत्रिय महासभा का काम अपने हाथ में ले लिया और आज यह सिर्फ पवार शब्द को प्रचारित कर रही हैं। इसके पदाधिकारी भी वैनगंगा क्षेत्र में पोवार/पंवार के स्थान पर पवार शब्द को प्रचारित कर समाज में नामों को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जाति बदल नहीं सकती। पता नहीं पवार महासभा क्यों पोवारों की ऐतिहासिक पहचान मिटाना चाह रही हैं, और ये युवाओं का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। पवार महासभा पवार शब्द को ३६ कुल के पोवार/पंवार समाज के बीच बैनर, पोस्टर, कैलेंडर, पम्पलेट और ऐसे कई माध्यमों स प्रचारित कर रही है।इससे ३६ कुल का समाज आपस में बट रहा हैं।

11. पोवारों के अस्तित्व के लिए हमारा दायित्व

****

एकीकरण का ये अर्थ नहीं की हम युवा पीढ़ी को जाति वैलिडिटी के लिए कार्यालयों के लिए चक्कर लगवाये, ऐतिहासिक नामों को मिटा दे, दूसरे समाजों के नामों को लिखने लगे, धर्म परिवर्तन कर डाले या समाज का अस्तित्त्व ही मिटा डाले। चंद लोगोँ के स्वार्थ और दूरस्थ समाजों के साथ एकीकरण के लिए पुरे समाज को नामों को बदलवाना बिलकुल उचित नहीं हैं। ऐसी संस्थाओं और लोगों को पहचान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना जरुरी हैं नहीं तो ये लोग समाज की संस्कृति के लिए घातक होंगे।

पोवार समाज एवं मातृभाषा पोवारी के ऐतिहासिक नाम यदि हम न बचा पाये तो पोवार समाज का अस्तित्व मिट जायेगा.अत: उठो! जागो! और अपना इतिहास बचाओ।

****